(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1230–एक/2013 विरुद्व आदेश दिनांक 31–8–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 01/अपील/2011–12.

महेश कुमार पिता भेरूलाल खाती
निवासी – कुकडेश्वर तहसील मनासा
जिला नीमच ——— आवेदक

विरूद्व

कृष्णकांत पिता नाथूलाल ब्राम्हण
निवासी कुकडेश्वर तहसील मनासा
जिला नीमच ——— अनावेदक

(श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक – आवेदक)
(श्री एस0के0श्रीवास्तव अभिभाषक – अनावेदक)

आ दे श

(आज दिनांक 13 अप्रैल 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 01/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 31–08–2012 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा दिनांक 29–4–2000 को आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम कुकडेश्वर स्थित भूमि सर्वे नं. 2970/1 का सीमांकन करवाया था। सीमांकन परिणामस्वरूप आवेदक की भूमि सर्वे 2970/1 का सीमांकन करके सर्वे नं. 2970/1 की 166 आरे पर विपक्षी महेश कुमार पिता भेरूलाल खाती निवासी कुकडेश्वर का कब्जा पाया गया। सीमांकन के उपरांत भी अनावेदक द्वारा कब्जा नहीं हटाने पर आवेदक के द्वारा मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत् अवैध कब्जा हटाने के संबंध में आवदेक द्वारा तहसीलदार मनासा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार मनासा द्वारा विधिवत् प्रक्रं 03/अ–70/99–2000 दर्ज किया जाकर प्रकरण में प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21–4–2003 पर उभयपक्ष की सुनवाई उपरांत दिनांक 29–4–2003 को आवेदन निरस्त करने के उपरांत

प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत रखा गया। तहसीलदार मनासा के उक्त अंतरिम आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला नीमच के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर जिला नीमच के द्वारा प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30–5–2003 द्वारा अपर कलेक्टर ने तहसीलदार मनासा को निर्देशित किया कि म.प्र. ग्राम न्यायालय के प्रभावशील होने के पश्चात् प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई उसके निपटारा करने का अधिकार ग्राम न्यायालय को होने से यह प्रकरण ग्राम न्यायालय कुकडेश्वर को भेजे। तहसीलदार मनासा के प्रश्नाधीन प्रकरण ग्राम न्यायालय में आदेश के कम में अंतरिम किया। प्रश्नाधीन प्रकरण ग्राम न्यायालय के कुकडेश्वर के विचार दौरान मान. व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी मनासा के समक्ष महेश कुमार पिता भेरूलाल खाती कुकडेश्वर के द्वारा वाद प्रस्तुत किया। मान. व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी मनासा के वाद क्रमांक 86 ए/2000 में दिनांक 4–9–2000 से ग्राम न्यायालय में प्रचलित प्रकरण में धारा 250 की कार्यवाही स्थगित की गई। आवेदक द्वारा तहसीलदार मनासा के समक्ष मान. व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी मनासा में अनावेदक द्वारा प्रचलित वाद क्रमांक 86ए/2000 निर्णय दिनांक 28–1–2008 से वादी का स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद निरस्त किया गया एवं मान. व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी मनासा के वाद क्रमांक 86ए/2000 आदेश दिनांक 28–1–2008 विरुद्ध अनावेदक के द्वारा मान. अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश मनासा के समक्ष प्रस्तुत अपील क्रं. 5ए/09 में पारित निर्णय दिनांक 21–1–2009 को अपील निरस्त की जाने से अनावेदक से अपने स्वामित्व की कृषि पर से आधिपत्य हटाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार मनासा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर ग्राम न्यायालय कुकडेश्वर का तत्काल संबंधित प्रकरण भेजने हेतु आदेशित किया। ग्राम न्यायालय कुकडेश्वर के द्वारा प्रकरण तहसीलदार मनासा को प्रस्तुत किया। तहसीलदार मनासा के द्वारा उक्त प्रकरण नायब तहसीलदार कुकडेश्वर की ओर भेजा गया। नायब तहसीलदार कुकडेश्वर द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/अ–70/9–10 दर्ज कर उभयपक्ष की सुनवाई के पश्चात् पारित आदेश दिनांक 02–04–2011 को अनावेदक को विवादित भूमि का कब्जा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया। नायब तहसीलदार कुकडेश्वर के आदेश के विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय मनासा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी मनासा के द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/अपील/10–11 को अनावेदकों को सुने जाने के उपरांत अपील दिनांक 19–08–2011 को सारहीन होने से निरस्त कर दी गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के

अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उनके आदेश दिनांक 31–08–2012 को अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यह निगरनी राजस्व मण्डल, न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि –

अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त के अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 250 के अंतर्गत् आवेदक की भूमि का कब्जा दिलाये जाने का तहसीलदार का आदेश कायम रखने में वैधानिक त्रुटि की। तहसीलदार द्वारा दिनांक 3–6–1999 को उक्त भूमि का सीमांकन करने का आदेश दिया राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना सूचना दिये सीमांकन की तारीख नियत कर दी। आवेदक की पीठ पीछे एकपक्षीय रूप से असत्य पंचनामा की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, बटांकन भी आवेदक की जानकारी के बिना किया गया। वर्ष 2000 के सीमांकन के आधार पर वर्ष 2009–2010 में धारा 250 की कार्यवाही की जो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि जानकारी दिनांक से दो वर्ष के भीतर ही धारा 250 की कार्यवाही की जा सकती है जबकि धारा 250 की कार्यवाही लगभग 10 वर्ष पश्चात् की गई। इन बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। अतः निगरानी स्वीकार कर तीनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त किए जाए। प्रतिप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि सीमांकन वर्ष 2000 में नियमानुसार किया गया था। आवदेक ने सीमांकन आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की, वह अंतिम है। प्रार्थी अभिभाषक का यह तर्क उचित नहीं है कि धारा 250 की कार्यवाही सीमांकन में अतिकमण की जानकारी होने पर भी 10 वर्ष पश्चात् प्रारंभ की, क्योंकि प्रतिप्रार्थी ने वर्ष 2000 में ही तहसीलदार मनासा का धारा 250 के अंतर्गत् कार्यवाही हेतु आवेदन दिया था जो प्रकरण कमांक 03/अ–70/99/2000 पर दर्ज हुआ था। प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में विक्रय की गई वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत किया था जिसमें सिविल न्यायालय में धारा 250 की कार्यवाही स्थगित कर दी थी। अतः सिविल न्यायालय में अंतिम रूप से मान. उच्च न्यायालय तक वादी का वाद एवं अपील निरस्त होने पर, प्रतिप्रार्थी ने तहसीलदार को धारा 250 की कार्यवाही हेतु तह. मनासा को आवेदन दिया। जो नायब तहसीलदार कुकडेश्वर को अंतरित हुआ। नायब तहसीलदार कुकडेश्वर ने दिनांक 2–4–2011 को धारा 250 के तहत् वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का अवैध आधिपत्य मानकर भूमि का कब्जा प्रतिप्रार्थी को सौंपने का आदेश दिया। अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त ने भी अपील में भी नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा तथा अपील निरस्त की। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष हैं अतः निगरानी निरस्त की जाए।

उभयपक्ष अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। आवदेक अभिभाषक का यह तर्क मान्य योग्य नहीं है कि सीमांकन के आधार पर जिसमें वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का अवैध अतिक्रमण पाया गया था उसके आधार पर तहसीलदार द्वारा धारा 250 की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि जिस सीमांकन एवं बटांकन आदेश को आवेदक त्रुटिपूर्ण बता रहा है उसे तत्समय किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी थी, इसके अतिरिक्त सीमांकन आदेश दिनांक 2–4–2000 जिसमें वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का अतिक्रमण बताया गया था उसके आधार पर अनावेदक ने तहसीलदार मनासा को धारा 250 के अंतर्गत् आवेदन दिया था जो उनके न्यायालय में (प्र.क्रं. 3/अ–70/99–2000) पर दर्ज हुआ था, परन्तु अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी में दिए गए आदेश के पालन में ग्राम न्यायालय कुकडेश्वर को अंतरित किया गया। तत्पश्चात उभयपक्ष के बीच वादग्रस्त भूमि के विक्रय के संबंध में आवेदक द्वारा सिविल वाद दायर किया तथा व्यवहार न्यायालय वर्ग–2 के प्रकरण क्रमांक 86/अ/2000 के आदेश दिनांक 4–9–2003 अनुसार धारा 250 की कार्यवाही स्थगित रही। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अपील आदेश दिनांक 21–1–2010 के आधार पर जिसमें आवेदक की अपील निरस्त की गई थी अनावेदक ने तहसीलदार मनासा को धारा 250 की कार्यवाही करने हेतु प्रस्तुत किया। मान. उच्च न्यायालय में आवेदक द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 21–9–2010 को निरस्त की। इस प्रकार स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय में भी वादग्रस्त भूमि के संबंध में आवेदक का वाद तथा अपील निरस्त होने के पश्चात् तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही धारा 250 के अंतर्गत् की है। तहसीलदार कुकडेश्वर के धारा 250 की कार्यवाही में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया तथा साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण के पश्चात दिनांक 2–4–2011 को आवेदक के अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जो उचित है। अनुविभागीय अधिकारी ने तथा अपर आयुक्त ने भी आवेदक की अपील इसी आधार पर निरस्त की हैं। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष उचित हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई वैधानिक आधार नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश स्थिर रखे जाते हैं।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0
ग्वालियर